दिनांकः 04.03.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला आवेदकगण 1. विश्वकांत मिश्र 2. अखिलेश मिश्र दोनों पिता कारनी मिश्र 3. सुजीत कुमार मिश्र 4. अमरेश कुमार मिश्र 5. मदन मोहन मिश्र 6. विनोद कुमार मिश्र सभी साकिन संग्रामपुर , थाना संग्रामपुर जिला–पूर्वी चम्पारण की तरफ से दिनांक 15.01.2024 को आदेश 1 नियम 10 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

आवेदकगण ने अपने आवेदन में कहा है कि नकछेद चौबे अपने दो लडके छठू चौबे और प्रगाल चौबे को छोड़कर मर गए प्रगाश चौबे अपने तीन लड़के महंत चौबे , रामखेलावन चौबे , रामजनम चौबे को छोड़कर मर गए यह कि रामखेलावन चौबे नावल्द मर गए और उनका कुल हिस्सा महंत चौबे को आया , महंत चौबे अपने दो लड़के रामस्वरूप चौबे और रामानुज चौबे को छोड़कर मर गए । यह कि रामस्वरूप के लड़के रामएकबाल चौबे तथा रामएकबाल के लड़के रामकृष्ण चौबे प्रतिवादी सं 1 , वादी सं 1 शत्रुधन चौबे , वादी सं 2 उनकी बहन गायत्री देवी , प्रतिवादी सं 5 सुनैना देवी , प्रतिवादी सं 3 वो पिता प्रतिवादी सं 4 है । यह कि रामानुप चौबे और उनकी पत्नी का सेवा टहल आवेदक के पिता सुजीत कुमार मिश्र के दादा करते थे जिससे खुश होकर के रामानुज चौबे ने कारूरिक मिश्र व शंकर मिश्र को बकसीसनामा दिनांक 03.02.1975 को मवाजी 02–06–0 कर दिया है और दखल कब्जा दे दिया है यह कि वादी और प्रतिवादी मेली है जो आवेदकगण जमीन की जानकारी रखते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया है । यह कि कारनी मिश्र उर्फ कारूणिक मिश्र अपने तीन लड़के को छोड़कर वफात कर गए । यह कि दिनांक 23.12.2023 को आवेदन बिना गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत हो गया । यह कि गांव में अफवाह के बाद बंटवारा की जानकारी हुई अत : आवेदकगण को मामले में पक्षकार बनाने की कृपा की जाए ।

मामले मे वादी एवं प्रतिवादीगण की तरफ से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया । पक्षकारों ने आवेदन का मौखिक विरोध किया ।

मामले में आवेदकगण के आवेदन का अवलोकन किया तथा उपस्थित पक्षों को सुना, वाद पत्र तथा लिखित कथन का भी अवलोकन किया मामले में आवेदकगण के अनुसार वे लोग दिनांक 03.02.1975 में बकसीसनामा के माध्यम से उनके पूर्वज विवादित संपत्ति पर दखल कब्जा प्राप्त किये थे । मामले में आवेदकगण ने अपने पक्ष में बकसीसनामा की छायाप्रति न्यायालय में प्रस्तुत किया । अभिलेख पर इन समस्त तथ्यों के अवलोकन पश्चात प्रस्तुत न्यायालय व्यवहार प्र0सं0 के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत यह वर्णित है कि **न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत**

प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय की राय में आवेदकगण के वंशज को मामले में कुछ जमीन बकसीसनामा के माध्यम से हासिल है और आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत बकसीसनामा द्वारा हासिल मौजा नवादा गोविंदगंज, थाना नं 98 तौजी नं 886, अंचल अरेराज , जिला –पूर्वी चम्पारण स्थित जमीन का विवरण दिया गया । वाद पत्र के मद नं 1 में वर्णित जमीन भी थाना नं 98 मौजे नवादा थाना–गोविंदगंज जिला पूर्वी चम्पारण, के अंतर्गत अवस्थित है । बहुत सारे जमीन का खाता , खेसरा आवेदकगण के आवेदन और मद नं 1 जो वाद पत्र में वर्णित है उसके अंतर्गत है ऐसी स्थिति में आवेदकगण का पक्षकार बनाना आवश्यक है अतः प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत किया जाता है।** वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।